न्यायालय सहायक कलक्टर (मु0) धौलपुर

व इजलास : डॉ साधना शर्मा (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या : 90 / 2024

बच्चूसिंह पुत्र श्री हरदन सिंह जाति जाट निवासी ग्राम पचगांव तहसील व जिला धौलपुर

.....वादी

बनाम

1. विजेन्द पुत्र श्री गंगाराम जाति कुशवाह निवासी ग्राम भागीरथपुरा तहसील व जिला धौलपुर
2. मुन्नीदेवी पत्नी रामेश्वरदयाल जाति जाटव निवासी भागीरथपुरा तहसील व जिला धौलपुर

.....प्रतिवादीगण

दावा स्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थिति : **श्री किशनसिंह त्यागी एडवोकेट, वादी की ओर से**
श्री देवीसिंह कुशवाह एडवोकेट प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से
श्री जगदीश प्रसाद राजपुत एडवोकेट प्रतिवादी संख्या 2 की ओर से

कलक्टर मुख्यालय धौलपुर (राज0)

निर्णय **दिनांक : 23.05.2025**

वादी ने प्रतिवादीगण के विरूद्ध राजस्व वाद बाबत् स्थायी निषेधाज्ञा का न्यायालय में प्रस्तुत कर कथन किया कि वादी विवादित आराजी 1805 व 1806 बाकै ग्राम पचगांव तहसील व धौलपुर का एकान्तिक खातेदार काश्तकार है व काबिज काश्त आराजी है, प्रतिवादीगण का उक्त आराजी से कोई संबंध सारोकार नहीं है। विवादित आराजी के दक्षिण दिशा में राजस्व ग्राम भागीरथपुरा लगता है। विवादित आराजी के दक्षिण में लगा राजस्व ग्राम भागीरथपुरा का खसरा नम्बर 76 गैर–मुमकिन नाला है, उक्त खसरा नम्बर के दक्षिण में प्रतिवादीगण की अधिकार खातेदारी की आराजी खसरा नम्बर 133 प्रतिवादी संख्या 1 व 134 प्रतिवादी संख्या 2 की स्थित है। राजस्व ग्राम भागीरथपुरा के मध्य गैरमुमकिन नाला खसरा नम्बर 76 ग्राम भागीरथपुरा सैंकडो वर्षो से स्थित है जिससे वर्षाती पानी ग्राम पचगांव एवं ग्राम पचगांव से दक्षिण में स्थित पहाडियों का वर्षाती पानी बहता हुआ इस गैरमुमकिन नाले से ग्राम भागीरथपुरा के पास राष्ट्रीय राजमार्ग को क्रोस करने वाले बड़े नाले में मिल जाता है। जिससे बाढ़ की स्थिति नहीं रहती है। प्रतिवादीगण ने उअने अधिकार खातेदारी की आराजी खसरा नम्बर 133 व 134 का ना तो भूमि रूपान्तरण कराया है ना ही अन्य प्रकार से किस्म परिवर्तित कराया है , प्रतिवादीगण दबंग है जो अपनी आराजी में खसरा नम्बर 76 को मिलाते हुए निर्माण कार्य करते हुए आराजी खसरा नम्बर 1805, 1806 की ओर झांकते हुए दरवाजा, खिड़की, रोशनदान, नाली, परनाले कायम कर विवादित आराजी में रास्ता कायम करना चाहते है। दिनांक 06.09.2024 को प्रतिवादीगण ने विवादित आराजी के दक्षिण में स्थित गैरमुमकिन नाला खसरा नम्बर 76 एवं अपनी आराजी , खसरा नम्बर 133, 134 में विवादित आराजी की ओर गेट करते हुए निर्माण शुरू कर दिया तथा विवादित आराजी में निर्माण सामग्री डाल दी जब वादी ने विरोध किया तो प्रतिवादीगण ने धमकी दी कि वे विवादित आराजी में ही अपने भवन / दुकानों के दरवाजों, खिड़की, रोशनदान, नाली, परनाले कायम करेंगे तथा विवादित आराजी में रास्ता कायम कर सड़क तक पहूँच बनायेंगे। इसलिए प्रतिवादीगण को विवादित आराजी में हस्तक्षेप नहीं करने हेतु स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद करने का निवेदन किया है।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी हेतु नोटिस जारी किये गये। प्रतिवादीगण की ओर जबाबदावा प्रस्तुत किया गया कि वादी की खातेदारी की भूमि अथवा गैरमुमकिन नाला की भूमि पर कोई अतिक्रमण कर निर्माण कार्य नहीं किया है। अपनी खातेदारी की आराजी पर काबिज काश्त है। वादी जो आराजी खसरा नम्बर 1805, 1806 ग्राम पचगांव धौलपुर का खातेदार काश्तकार कहता है वह आराजी पुराने रोड़ धौलपुर– भरतपुर के उत्तर में स्थित है जो नेशनल हाईवे संख्या 123 की रोड़ सीमा में जिस पर वादी ने अवैध रूप से दुकान निर्माण कर शराब का ठेका संचालित है। वादी विवादित स्थल की भौतिक स्थिति की रिपोर्ट मंगाये जाने हेतु कमिश्नर नियुक्त कराया था जिसमें पटवारी हल्का ने अपनी रिपोर्ट में अंकित किया है कि प्रतिवादी के द्वारा नाले की भूमि अथवा वादी की भूमि में कोई अतिक्रमण नहीं किया है। वादी ने स्वयं ही रोड़ सीमा की भूमि में अवैध अतिक्रमण कर दुकान निर्माण किया है।

उपखण्ड अधिकारी पदेन
सहायक कलक्टर मुख्यालय
धौलपुर (राज0)

प्रतिवादी सख्या 1 का नाले की भूमि व वादी की भूमि पर कोई अतिक्रमण नहीं है। बल्कि वादी द्वारा ही नाले की भूमि पर अतिक्रमण किया जा रहा है। जिससे नाला अवरूद्ध हो गया है। इसलिए वादी का दावा खारिज किये जाने का निवेदन किया है। प्रतिवादी संख्या 2 ने जबाबदावा ना देते हुए तहसीलदार धौलपुर की रिपोर्ट के मुताबित दावा डिक्री किये जाने का निवेदन किया।

तहसीलदार धौलपुर से उक्त संबंध हाजा प्रकरण के साथ संलग्न प्रार्थना पत्र 212 आरटीए में रिपोर्ट तलब की गई थी। उक्त रिपोट का अवलोकन किया गया। मुताबिक रिपोर्ट खसरा नम्बर 76 किस्म गैर मुमकिन नाला रकवा 0.8346 हैक्टेयर दर्ज रिकार्ड है जिसके पास खसरा नम्बर 139 रकवा 0.3414 हैक्टेयर किस्म नहरी प्रथम दर्ज रिकार्ड है। जिसमें राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 177 प्रकरण दर्ज किया जा चुका है। विजेन्द्र सिंह पुत्र गंगाराम द्वारा आराजी खसरा नम्बर 133 में करीबन 2 विस्वा भूमि में बगैर भूमि रूपान्तरण कराये 2 पक्की छत डालकर दुकानों का निर्माण कर लिया है। दुकानों के सामने खसरा नम्बर 76 दर्ज है जिसमें विजेन्द्र पुत्र गंगाराम द्वारा मोहरम डालकर रास्ता डाल लिया है। विजेन्द्र पुत्र गंगाराम मौके पर उपस्थित नहीं थे वो अपने कार्य से धौलपुर से बाहर होना बताया गया है मौके पर विजेन्द्र के छोटे भाई बगैराह वीरीसिह उपस्थित मिले जिन्हें उक्त नाले पर अतिक्रमण नहीं करने एवं जो मोहरम बगेराह डालकर रास्ता निकाल रहे है उस कार्य को नहीं करने हेतु पाबंद किया गया एवं उपस्थित वीरीसिंह को अवगत कराया गया की उक्त नाले पर भविष्य में किसी भी तरह का अतिक्रमण या रास्ता डालते है तो आपके विरूद्ध कार्यवाही हेतु आवेदन कर दिया जावेगा।

वकील उभयपक्ष को तहसीलदार धौलपुर की रिपोर्ट पर सुना गया। वकील उभयपक्ष ने तहसीलदार धौलपुर की रिपोर्ट के मुताबिक दावा डिक्री किये जाने का निवेदन किया है।

हमने विद्वान अभिभाषक उभयपक्ष को सुना गया वहस सुनी। प्रस्तुत वहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया। तहसीलदार धौलपुर की रिपोर्ट के साथ संलग्न मौका पर्चा रिपोर्ट पटवारी हल्का, का अवलोकन किया, पटवारी हल्का के मौका पर्चा रिपोर्ट के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि विजेन्द्र ने आराजी खसरा नम्बर 76 बाकै भागीरथपुरा में मोहरम डालकर रास्ता का निर्माण कर तहसील व जिला धौलपुर पर अतिक्रमण कर रखा है। इसलिए न्यायालय दावा वादी मुताबिक तहसीलदार रिपोर्ट डिक्री किया जाना उचित समझती है।

आदेश

अतः आदेश है कि दावा वादी डिक्री किया जाकर प्रतिवादीगण को विवादित आराजी खसरा नम्बर 1805, 1806 बाकै ग्राम पचगांव तहसील व जिला धौलपुर एवं उभयपक्ष को आराजी खसरा नम्बर 76 किस्म गैरमुमकिन नाला बाकै ग्राम भागीरथपुरा तहसील व जिला धौलपुर के बाबत् स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वह किसी भी प्रकार का हस्तक्षेत तथा निर्माण कार्य नहीं करें। तहसीलदार धौलपुर को आदेश दिये जाते है, कि वह आराजी खसरा नम्बर 76 किस्म गैर मुमकिन नाला बाकै ग्राम पचगांव तहसील व जिला धौलपुर पर हो रहे उभयपक्ष के अतिक्रमण को हटाया जाकर उभयपक्ष को पाबंद करें कि वह आराजी खसरा नम्बर 76 पर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण नहीं करें और ना ही नाला अवरूद्ध करें। पाबंद कर पालना रिपोर्ट न्यायालय में भिजवाया जाना सुनिश्चित करें। पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 23.05.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर मुख्यालय धौलपुर (राज.)

(डॉ साधना शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी पदेन
सहायक कलक्टर (मुख्यालय)
धौलपुर

डिकी व मुकदमे इब्तदाई

अज अदालत : सहायक कलक्टर (मुख्यालय) धौलपुर
व इजलास : डॉ साधना शर्मा (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्या : 90 / 2024

बच्चूसिंह पुत्र श्री हरदन सिंह जाति जाट निवासी ग्राम पचगांव तहसील व जिला धौलपुर
.....................................वादी

बनाम

1. विजेन्द्र पुत्र श्री गंगाराम जाति कुशवाह निवासी ग्राम भागीरथपुरा तहसील व जिला धौलपुर
2. मुन्नीदेवी पत्नी रामेश्वरदयाल जाति जाटव निवासी भागीरथपुरा तहसील व जिला धौलपुर

....प्रतिवादीगण

दावा स्थाई निषेधाज्ञा

आज यह मुकदमा इनफिसाल कतई रूबरू मुझ साधना शर्मा (आर.ए.एस.) व हाजिरी श्री किशनसिंह त्यागी एडवोकेट मुद्दई व श्री देवीसिंह एडवोकेट एवं जगदीशप्रसाद राजपूत एडवोकेट मुद्दयालय पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि दावा वादी डिक्री किया जाकर प्रतिवादीगण को विवादित आराजी खसरा नम्बर 1805, 1806 बाकै ग्राम पचगांव तहसील व जिला धौलपुर एवं उभयपक्ष को आराजी खसरा नम्बर 76 किस्म गैरमुमकिन नाला बाकै ग्राम भागीरथपुरा तहसील व जिला धौलपुर के बाबत् स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वह किसी भी प्रकार का हस्तक्षेत तथा निर्माण कार्य नहीं करें। तहसीलदार धौलपुर को आदेश दिये जाते है, कि वह आराजी खसरा नम्बर 76 किस्म गैर मुमकिन नाला बाकै ग्राम पचगांव तहसील व जिला धौलपुर पर हो रहे उभयपक्ष के अतिक्रमण को हटाया जाकर उभयपक्ष को पाबंद करें कि वह आराजी खसरा नम्बर 76 पर किसी भी प्रकार का अतिक्मण नहीं करें और ना ही नाला अवरूद्ध करें। पाबंद कर पालना रिपोर्ट न्यायालय में भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।

वशब्द मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत से आज दिनांक 23.05.2025 को जारी की गई।

सहायक कलक्टर मुख्यालय
धौलपुर (राज0)

(डॉ साधना शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी पदेन
सहायक कलक्टर (मुख्यालय)
उपखण्ड अधिकारी पदेन
सहायक कलक्टर मुख्यालय
धौलपुर
धौलपुर (राज0)